

उत्तराखण्ड शासन
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या:—500/XLIII(I)/14-20(02)/2014
देहरादून:दिनांक 07-अगस्त, 2014

अधिसूचना

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानान्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल श्री सुभाष जोशी को "उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग" के आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।
2. यह नियुक्ति अधिनियम की धारा-15 (3) के अधीन श्री सुभाष जोशी के शपथ ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
 3. यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा-15(1) के अनुरूप श्री सुभाष जोशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
 4. आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार आयोग के वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा-15 (5) के अनुरूप होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या: /XLIII(1)/14-20(02)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री सुभाष जोशी, सेवानिवृत्त आई0पी0एस0।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 100 प्रतियां मुद्रित करा कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
13. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. मीडिया सेन्टर।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(भास्करानन्द)
सचिव।

संशोधित

उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन लेखा अनुभाग-5
वेतन/अवकाश वेतन पर्ची

संख्या...../लेखा अनुभाग-5/वे0प0प्र0(आयोग)/2014 देहरादून: दिनांक 29 सितम्बर, 2014

श्री सुभाष जोशी, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून को सूचित किया जाता है कि सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 500/XLIII(I)/14-20(02)/2014 दिनांक 07 अगस्त, 2014 के कम में निम्नांकित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन/भत्ते पूर्वाहरित धनराशियों को समायोजित करते हुए लेने के हकदार हैं :-

वेतनमान अवधि	₹	दिनांक 09.08. 2014 से		अभ्युक्ति
मूल वेतन		80000	कार्य	वेतन से पेंशन की सकल राशि (जिसमें उनकी राशिकृत पेंशन का भाग, यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) को कम कर दिया जाय।
ग्रेड वेतन		0	मुक्ति	
प्रतिपूर्ति वेतन		0		
अवकाश वेतन		0	की	
महंगाई भत्ता		80000		2- राजकीय आवास की सुविधा न होने पर यथा नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय होगा
मकान किराया भत्ता		0	तिथि	
उत्तराखण्ड विकास भत्ता		540		
सैन्चुरी भत्ता		15000	शून्य	
		0		
योग		175540		

समी० अधि० : अनु० अधि० : अनुसचिव (लेखा) उप सचिव (लेखा) वरिष्ठ वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड शासन

टिप्पणी:- 1- इस बात का विशेष रूप से अनुरोध है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन विल के साथ वह पर्ची लगा दी जाय। ऊपरी भाग पर लेखा-परीक्षा संख्या के रूप में संख्या.....लिखी जाय।
2- यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियाँ और सरकार को देय राशियों की वसूलियाँ कर लेनी चाहिए।

संख्या 791 (1)/ लेखा अनुभाग-5/वे0प0प्र0(आयोग)/2014, तददिनांकित।

- वित्त अधिकारी साइबर ट्रेजरी देहरादून को सूचनार्थ प्रति प्रेषित/जब कभी वह उक्त अधिकारी के नाम कोई अन्तिम वेतन पत्र जारी करें, उसे उसमें दिया गया वेतन का ब्यौरा दिया जाय।
 - अनु सचिव(लेखा)अनुभाग-9।
- विशेष टिप्पणी:- 1- अवकाश वेतन के मामले में अवकाश का स्वरूप मुख्य पृष्ठ के खाने 01 से 04 में दिखाया जाना चाहिए।
2- जहां अवकाश की अवधि का अवकाश वेतन विभिन्न सरकारों में विभाजित होना है, वह विनिधा स्पष्ट रूप से देना चाहिए।

समी० अधि०

अनु० अधि०

अनुसचिव (लेखा)

उप सचिव (लेखा)

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन